छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चन्द्रशेखर साहू , श्रम मंत्री, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्रमांक 33 सन् 2008) की धारा 15 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-10-20/2010/16, दिनांक 12 अगस्त 2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973)की धारा 85 की उपधारा (3)की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-7-28/2010/32, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 पटल पर रखेंगे.

3. जुलाई-अगस्त,2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

4. नियम 267- क के अधीन जुलाई-अगस्त,2010 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

6. महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-37, जैजैपुर से निर्वाचित सदस्य,श्री महंत रामसुन्दर दास को दिसम्बर, 2010 सत्र में सोमवार,दिनांक 6 दिसम्बर से शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

क्रमश: 2

9. मंत्री का वक्तव्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, दिनांक 16 मार्च,2010 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या- 16 (क्रमांक- 1764) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

11. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, सर्वश्री देवजी पटेल, नंदकुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में हाईब्रीड धान की खेती से किसानों को हानि होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजीत जोगी, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कमल विहार योजना में अनियमितता होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

12. वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

<u>निर्धारित समय</u>
1 घंटा 30 मिनट

14. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में मलेरिया की रोकथाम हेतु कारगर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 6 दिसम्बर,2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.